



86

र 221

र 221 9082-PBR-17 श्री

R-172-PBR/17

निकाल.दि. 22/03/2017ई0

प्रस्तुत दिनांक /04/2017ई0

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश,
इन्दौर पीठ के समक्ष,

श्री चौधरी सुधीर
द्वारा आज दि. 01.5.17 को
उपस्थित

विकास
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

आवेदनपत्र धारा 35 (3) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के
अन्तर्गत।

- 1/ चारु पिता शांताराम येवतीकर
निवासी सनावद, तहसील सनावद,
- 2/ क्रांति पिता शांताराम येवतीकर (कनाटे)
निवासी बडौदा, गुजरात
- 3/ ज्योति पिता शांताराम येवतीकर
निवासी सनावद, तहसील सनावद,
- 4/ संजय कुमार पिता शांताराम येवतीकर
निवासी सनावद, तहसील सनावद,

— आवेदकगण

विरुद्ध

- 1/ कुदनसिंह पिता प्रहलादसिंह निवासी सनावद,
- 2/ विकमसिंह पिता प्रहलादसिंह निवासी सनावद,
- 3/ महेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह निवासी पंधाना,
- 4/ रूपकुवरबाई पति रघुनासिंह चौहान निवासी इन्दौर,
- 5/ पदमकुवरबाई पति अखिलेशसिंह चौहान निवासी महोम्मदपुर,
- 6/ चॉदकुवरबाई पति सुरेन्द्रसिंह चौहान निवासी कुसांभिया,
- 7/ किरणकुवर पति चन्द्रभानसिंह चौहान निवासी महोम्मदपुर,

9
01/5/17

ज्योति चौधरी

अक्षय

[2]

- 8/ वंदनाबाई पति दुपतसिंह पंवार निवासी जामन्या,
9/ दीक्षा पिता दुपतसिंह पंवार अवयस्क तरफे माता
वंदनाबाई पति दुपतसिंह पंवार निवासी जामन्या,
10/ सोनाली पिता दुपतसिंह पंवार अवयस्क तरफे माता
वंदनाबाई पति दुपतसिंह पंवार निवासी जामन्या,
11/ गजराजसिंह पिता दुपतसिंह पंवार अवयस्क तरफे माता
वंदनाबाई पति दुपतसिंह पंवार निवासी जामन्या,
तहसील सनावद, जिला खरगोन.

— अनावेदकगण

विषय:- रिवीजन पुनःस्थापन बाबद।

सविनय निवेदन है कि :-

रिवीजन अनुपस्थिती में खारिज होने की जानकारी
दिनांक 26/4/2017 से यह आवेदन पत्र अवधि में प्रस्तुत है।

1/ आवेदकगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष
एक रिवीजन क्रमांक R-172-PBR/17 प्रस्तुत की गई थी उक्त
रिवीजन माननीय राजस्व मंडल के समक्ष ग्वालियर में अधिवक्ता के
माध्यम से प्रस्तुत की गई थी तथा आवेदकगण की ओर से उक्त
प्रकरण में ग्वालियर में अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे। आवेदकगण को
दिनांक 26/4/2017 को अधिवक्ता से ज्ञात हुआ कि उक्त रिवीजन
दिनांक 22/3/2017 को इन्दौर केम्प में अनुपस्थिती में खारिज हो
गई है। उक्त रिवीजन इन्दौर केम्प में राजस्व मण्डल के समक्ष
सुनवाई हेतु रखे जाने की आवेदकगणों को कोई सूचना नहीं थी तथा
उक्त प्रकरण में दिनांक 22/3/2017 को माननीय राजस्व मण्डल
के इन्दौर केम्प में प्रकरण रखा होने की आवेदकगण को कोई
जानकारी नहीं दी गई थी।

2/ यह कि आवेदकगण को उक्त प्रकरण दिनांक
22/3/2017 को इन्दौर केम्प में सुनवाई हेतु रखे जाने की कोई

अनावेदकगण

अनावेदकगण

ज दि. 01.5.17

अनावेदकगण

दि.
01/17

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक

19082 PBR/17

तहसील

जयपुर

विरुद्ध

कुलकर्णी

जिला

जयपुर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक.</p> <p>के विरुद्ध श्री</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p>	
12-5-2017	<p>आवेदक राज जी और से श्री धर्मेश चतुर्वेदी, अभिभावक अस्मिता/उन्हे सहित. आवेदन पत्र पर सुना गया। सुन्ये. आवेदन पत्र लीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्र. R 172- PBR/17 पुनः सुनवाई हेतु नकार पर लिखा जाये।</p>	

12/5/17

[पीछे देखिये]

अध्यक्ष